न्यायालयः—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद,
जिला—गरियाबंद (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी – कु सीमा कंवर)
निर्णय दिनांक – 12.12.2025
दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 620/2025 शासन वि0 भीखम ध्रुव वगैरह
CIS-620/2025, CNR-CGRP05-000810-2025
थानाछुरा , अपराध क्रमांक – 90/2025
संस्थित दिनांक 21.07.2025

FORM-F

INDEX

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	02
2	Appearance of Advocates	02
3	Charge	03
4	Admitted Fact	03-04
5	Prosecution Story	03-05
6	Points for Determination	04-05
7	Reasons and Finding	05
8	Sentence	NA
9	Period of Detention & Set off	NA
10	Disposal of Property	05-06
11	Order of Compensation	NA
12	Certificate under Section 468 Bha.N.S.S	06
13	Warrant of commitment on a sentence (imprisonment or Fine)	NA
14	Copy of Judgement	01

परिवादी/प्रार्थी	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र छुरा जिला–गरियाबंद छ.ग.
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्रीमती शीतल दुबे ठाकुर डी.पी.ओ.
अभियुक्त(ए–1)	भीखम ध्रुव, पिता स्व गजराज ध्रुव, उम्र 35 साल, साकिन–रानीपरतेवा, थाना–छुरा, जिला गरियाबंद, छ.ग.
अभियुक्त(ए–2)	लिलेश्वर निषाद, पिता कोमल निषाद, उम्र 21 वर्ष, साकिन–रानीपरतेवा, थाना–छुरा, जिला गरियाबंद, छ.ग.
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री रामेश्वर निर्मलकर विद्वान अधिवक्ता

FORM-E

अपराध की तारीख	04.07.2025
एफ आई आर की तारीख	05.07.2025
अभियोग पत्र की तारीख	21.07.2025
आरोप विरचित की तारीख	22.09.2025
साक्ष्य प्रारंभ की तारीख	21.11.2025
तारीख जिस पर निर्णय आरक्षित किया गया है	12.12.2025
निर्णय की तारीख	12.12.2025
दण्ड प्रदान करने की आदेश की तारीख, यदि कोई हो	निरंक

अभियुक्त विवरण

अभियुक्त श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जतानत पर छोड़ने की तारीख	आरोपी अपराध	क्या दोषमुक्त किया गया या दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्डादेश	भा.ना.सु.सं. की धारा 468 के प्रयोजन से विचारण के दौरान भुगती गयी निरोध की अवधि
(ए–1)	भीखम ध्रुव, पिता गजराज, आयु–35 वर्ष, साकिन–रानीपरतेवा, थाना–छुरा, जिला– गरियाबंद छ0ग0	निरंक	निरंक	296 भा0 न्या0 सं0	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
(ए–2)	लिलेश्वर निषाद, पिता कोमल निषाद, आयु–21 साकिन–रानीपरतेवा, थाना–छुरा, जिला– गरियाबंद छ0ग0	निरंक	निरंक	296 भा0 न्या0 सं0	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

–::: निर्णय::: –

(दिनांक–12.12.2025 को घोषित)

01– अभियुक्तगण भीखम ध्रुव और लिलेश्वर निषाद द्वारा दिनांक 04.07.2025 को समय 20.00 बजे स्थान–ग्राम रानीपरतेवा, थाना छुरा, जिला–गरियाबंद छ0ग0 क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी/आहत श्री नागेश्वर यादव को अश्लील गाली गलौज कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

02– प्रकरण का स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण मे विचारण के दौरान

प्रार्थी/आहत श्री नागेश्वर यादव के द्वारा आरोपी के साथ भा0 न्या0 सं की धारा 351(3), 115(2), 3(5) के तहत अपराध के आरोप मे राजीनामा हो जाने के कारण उक्त अपराध मे आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है तथा शेष स्वीकृत तथ्यों का अभाव है।

03– अभियोजन का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.07.2025 को प्रार्थी/आहत श्री नागेश्वर यादव द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक को अनावेदक द्वारा प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी उक्त घटना से भयभीत होकर थाना छुरा मे रिपोर्ट दर्ज कराया, विवेचना कार्यवाही कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अपराध के संज्ञान हेतु न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04– अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 263 के प्रावधानों अनुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रथम दृष्टया भा0 न्या0 सं0 भा0 न्या0 सं0 296, 351(3), 115(2), 3(5) के अंतर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होने पर आरोप तैयार कर, अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर उसने अपराध कारित करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की। आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण में कोई साक्ष्य नही आने के कारण धारा 351 भा0 ना0 सु0 सं0 के अंतर्गत परीक्षा नही की गई। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना प्रकट किया गया और बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया।

05– प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैंः–

01. क्या, अभियुक्तगण भीखम ध्रुव और लिलेश्वर निषाद द्वारा दिनांक 04.07.2025 को समय 20.00 बजे स्थान–ग्राम रानीपरतेवा, थाना छुरा, जिला–गरियाबंद छ0ग0 क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी/आहत श्री नागेश्वर यादव को अश्लील गाली गलौज कर उसे व अन्य सुनने

वालों को क्षोभ कारित किया ?

–सकारण निष्कर्ष–

06– प्रकरण के अंतर्गत अभियोजन द्वारा 01 साक्षी को प्रस्तुत किया गया है। आहत/प्रार्थी श्री नागेश्वर यादव अ0सा0 क्र 01 के द्वारा अभियुक्तगण की पहचान करते हुए घटना के संबंध मे कथन किया है कि, घटना दिनांक को आरोपीगण और प्रार्थी के मध्य मामूली वाद विवाद हुआ था और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्के से मारपीट किया। अभियुक्तगण एवं प्रार्थी के मध्य साधारण वाद विवाद हुआ था। अभियुक्तगण एवं प्रार्थी के मध्य हुए विवाद पर दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा होना स्वीकार किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी/प्रार्थी के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा गाली–गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने से इंकार किया गया है।

07– प्रकरण में राजीनामा की स्थिति उत्पन्न होने से शेष साक्षियों को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत साक्षियों के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

08– इस प्रकार प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्ध पर अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **भीखम ध्रुव और लिलेश्वर निषाद** को भा0 न्या0 सं0 की धारा 296 के तहत अपराध प्रमाणित नहीं पाये जाने के आधार पर **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

09– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक स्टील का कड़ा वजन 08.16 ग्राम को को अपील अवधि समाप्ति पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जब्तशुदा संपत्ति का व्ययन किया जावे।

10- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में अभियुक्तगण की ओर से धारा प्रस्तुत भा0 न्या0 सं0 की धारा 296 के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत बंधपत्र निर्णय दिनांक से छः माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगा।

11- भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 468 के तहत प्रमाण पत्र तैयार कर निरोध की अवधि को कारावास की अवधि में समायोजित किया जावे।

क्र.	अभियुक्त का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कारावास की कुल अवधि जो सजा में समायोजित किया जाना हो।
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	भीखम ध्रुव, पिता स्व गजराज ध्रुव, आयु-35 साल, साकिन-रानीपरतेवा, थाना छुरा, जिला गरियाबंद, छ.ग.	निरंक	निरंक	-
2	लिलेश्वर निषाद, पिता कोमल, आयु 21 साल, साकिन-रानीपरतेवा, थाना छुरा, जिला गरियाबंद, छ.ग.	निरंक	निरंक	-

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/

(कु सीमा कंवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद
जिला-गरियाबंद (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/

(कु सीमा कंवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद
जिला-गरियाबंद (छ0ग0)